न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 30/2016 (डूंगरपुर डिक्री)

1. श्री हांजा पिता धूला मीणा निवासी पालवड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर
2. श्री पदमा पिता धूला मीणा निवासी पालवड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर
3. श्रीमती अलकी पिता धूला मीणा निवासी पालवड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री कउड़ा पिता थाना फनात मीणा निवासी पालवड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
2. श्री अमरा पिता थाना फनात मीणा निवासी पालवड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
3. श्री हरजी पिता होमा फनात मीणा निवासी पालवड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
4. श्रीमती मीरकी पिता होमा फनात मीणा निवासी पालवड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
5. श्रीमती काउड़ी पिता होमा फनात मीणा निवासी पालवड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
6. श्रीमती मरती पिता होमा फनात मीणा निवासी पालवड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
7. श्रीमती गंगा पिता होमा फनात मीणा निवासी पालवड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
8. श्रीमती लीमड़ी बेवा होमा फनात मीणा निवासी पालवड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
9. श्रीमती बदा पिता नाना फनात मीणा निवासी पालवड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
10. श्री देवा पिता नाना फनात मीणा निवासी पालवड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)

11. श्री कान्ति पिता डूंगर फनात मीणा निवासी पालवड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
12. श्री बंशी पिता डूंगर फनात मीणा निवासी पालवड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
13. श्री मगन पिता डूंगर फनात मीणा निवासी पालवड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
14. श्री चन्दू पिता डूंगर फनात मीणा निवासी पालवड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
15. श्री जीवा पिता कचरा फनात मीणा निवासी पालवड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
16. श्री दशरथ पिता कचरा फनात मीणा निवासी पालवड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
17. श्रीमती जीजा पुत्री शंकर फनात मीणा निवासी पालवड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
18. श्री कालू पिता शंकर फनात मीणा निवासी पालवड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
19. श्री सुखलाल पिता शंकर फनात निवासी पालवड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
20. श्री ताराचंद पिता शंकर फनात निवासी पालवड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
21. श्री रामा पिता भेरा फनात निवासी पालवड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर
22. श्री कैलाश पिता भेरा फनात निवासी पालवड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर
23. श्री बंशी पिता भेरा फनात निवासी पालवड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर
24. श्रीमती मंगली बेवा भेरा फनात निवासी पालवड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
25. श्री फूला पिता संगा फनात निवासी पालवड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर
26. श्री सवजी पिता सेंगा फनात निवासी पालवड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर
27. श्री सोमा पिता सेंगा फनात निवासी पालवड़ा तहसील व जिला डूंगरपुर
28. भूमिधारी तहसीलदार डूंगरपुर

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी डूंगरपुर दिनांक 22–04–2016
प्रकरण संखया 123/2013 वाद

————

उपस्थित :–1– श्री प्रेमपुरी गोस्वामी अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री महेश कुमार भट्ट अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 11, 13 से 15, 18, 19, 21, 22, 26,27
3–राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–28

————/————

निर्णय दिनांक 22–11–2017

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट वादी द्वारा प्रतिवादीगण रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध इद्राज दूरूस्ती एवं घोषणा का वाद प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि पक्षकारान एक ही गांव व परिवार के है। पक्षकारान की बपोति जमीन वादपत्र की कलम संख्या–1 अनुसार कल किता–10 रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा है। वादपत्र की कलम संख्या–2 में सम्वत् 1999 से 2008 में वादी एवं वादी के पिता एवं प्रतिवादीगण के बाप–दादाओं की जमीन कूल किता–19 रकबा 29 बीघा 2 बिस्वा है। इस भूमि में पक्षकारान के मूल पुरूष ककूआ, काला, धूला व सेंगा के नाम दर्ज थी। सम्वत् 2019 के सेटलमेन्ट में प्रतिवादीगण के बाबा ककूवा व काला अपना हिस्सा लेकर अलग हो गये तथा वादपत्र की कलम संख्या–1 में वर्णित भूमि प्रतिवादीगण के पिता थाना व सेंगा के नाम दर्ज कर दी गई। वादीगण के पिता धूला का नाम इन्द्राज होने से रहा गया। भूमि पर हिस्से अनुसार सब काबिज है। भूमि का मिलान क्षैत्रफल अनुसार नये नंबर वादपत्र की कलम संख्या–6 अनुसार है। वादपत्र की कलम संख्या–1 में धूला का नाम छूट जाने से उसे वारिसान वादीगण के नाम खातेदारी घोषणा की जाय।

प्रतिवादीगण की और से खण्डन का जवाबदावा पेश करते हुए कथन किया गया कि वादीगण के पिता धूला का कोई कब्जा नहीं था, न ही आज है। भूमियां अकेली प्रतिवादीगणो की है। प्रकरण में दिंनाक

22–1–2014 को प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

1. **आया वादीगण वाद वर्णित भूमि पालवड़ा तहसील डूंगरपुर के खाता संख्या 109/109 खसरा नं0 1253, 1254, 1418, 1419, 1422/2, 1423, 1464, 2345, 2403 कूल खसरा 9 रकबा 10 बीधा 06 बिस्वा वादीगण की पैतृक भूमि एं कब्जे काश्त की होने से राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम जुड़वाने का अधिकारी है? .....वादीगण**
2. **आया वादीगण वाद वर्णित भूमि का मौखिक बंटवारा हो चुका है परन्तु राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज नहीं होने से नाम दर्ज कराने का एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है? .....वादीगण**
3. **वादीगण के अन्य भूमि होने से वाद में वर्णित जमीन प्रतिवादीगण के खाते व कब्जे की होने से किसी प्रकार से इन्द्राज दूरूस्ती कर नाम जुड़वाने का अधिकारी नहीं है, ...प्रतिवादीगण**
4. **अनुतोष**

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की साक्ष्य सबूत लेने के बाद तनकीवार निर्णय दिनांक 22–4–2016 को पारित कर वादी अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 22–7–2016 को पेश की गई।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि उन्हें नकल 10–5–2016 को प्राप्त हुई तथा अपीलान्ट अनपढ़ व अशिक्षित होने से समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सके। अतएव मयाद कण्डोन क जाय। ताईद में अखण्डित शपथ पत्र भी पेश किया। अखण्डित शपथ पत्र व न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–12, 16, 17, 20, 23 से 25 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। शेष रेस्पोन्डेन्ट की और से अधिवक्त श्री मुकेश भट्ट ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 28 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता उपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार करने की प्रार्थना की। वहीं रेस्पोन्डेन्ट्स अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी प्रमाणित साक्ष्य का विवेचन किये बिना निर्णय पारित किया गया है तथा निर्णय विवेक अनुपयोग बिना किया गया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकाड का अवलोकन कर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या–1 का निर्णय निम्नानुसार किया गया हैः–

<u>तनकी नं0 1 :–</u> इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का है। मौखिक साक्ष्य शपथ पत्र एवं अभिलेख्य साक्ष्य में मौज पालवड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 प्रदर्श–1 से यह प्रमाणित नहीं होता है कि वादीगण की पैतृक जमीन हो साक्ष्य वादीगण अनुसार वादग्रस्त भूमि पर वादीगणों के काबिज होना प्रमाणित नहीं होता है। अतःइस तनकी को वादीगण सिद्ध करने में असफल रहे है। अतः इस तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादीगण किया जाता है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय वर्तमान का उल्लेख कर ही पारित कर दिया है, जबकि अपीलान्ट द्वारा चालू जमाबन्दी 2067–70 के अलावा प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत् 1999 से 2008 पेश की है। जिसमें वादी की कलम संख्या–2 अनुसार विवादित आराजीयात में मावाा के पुत्रों में अन्य पुत्रों के साथ वादी के पिता धूला का नाम भी अंकित है। मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–4 से वर्तमान आराजीयात पुरानी आराजीयात से ही बनना स्पष्ट है। प्रदर्श–5 भू–प्रबन्ध विभ्ज्ञाग की जमाबन्दी में वादी के पिता धूला को छोड़ा जाना स्पष्ट है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन किये बिना अत्यन्त संक्षिप्त व सरसरी निर्णय पारित किया है। अन्य तनकियों पर भी (इस मूल तनकी के आलावा) अत्यन्त सरसरी व साक्ष्यों का विवेचन किये बिना निर्णय पारित किया गया है जो तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्षों को पुनः सुनवाई का अवसर देकर तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 23–1–2018 को पेश होवें।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22–11–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ. .....मुकाम .....
उदयपुर व इजलास ..... एल.एन. मंत्री आर.ए.एस. .....

केशवलाल पिता कुरा उर्फ कुरिया
खटीक निवासी डूंगरपुर मोहल्ला
खटीकवाड़ा तहसील डूंगरपुर
जिला डूंगरपुर (राज0)
अन्य–1

बनाम

1– राजस्थान राज्य जरिये
भूमिधारी तहसीलदार डूंगरपुर
2– श्री चन्द्रवीर पिता लक्ष्मणसिंह
जी राजपूत नि0 भण्डारिया
तह. व जिला डूंगरपुर

अपील नं0 **14/2015** बनाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी** .....**डूंगरपुर** .....मुकाम मुक्र्खे.....**30**.....माह.....**03**.....**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**15**..... माह .....**02**..... सन् **2017** .....रूबरू .....पक्षकारान व हाजरी .....**श्री हितेष भण्डारी**..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री राजकीय अधिवक्ता** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–03–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**15**..... माह .....**02**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।